



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना-पत्र संख्या:- 2025 / 398

दर्ज तिथि:-18.06.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. वागाराम पुत्र सोनाराम जाति माली निवासी बोरली
2. गेनाराम पुत्र खंगाराराम जाति माली निवासी राठौड़ो की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी
3. चिमनाराम पुत्र पदमाराम जाति माली
4. भूराराम पुत्र भैराराम
5. भवाराम पुत्र भैराराम  
जाति माली निवासी बोरली तहसील गुड़ामालानी
6. लाभूराम पुत्र खंगाराराम जाति माली निवासी राठौड़ो की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी
7. सांवलाराम पुत्र भैराराम जाति माली निवासी बोरली
8. शाखा प्रबंधक पीएनबी शाखा गुड़ामालानी
9. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा एडीबी गुड़ामालानी।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-131,136

राजस्थान भू-राजस्व अधि.-1956

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-24.04.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार आराजी खसरा संख्या 1253/4 है0 किस्म बा0स00, मौजा बोरली तहसील गुड़ामालानी में मौके पर चालू कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। है। उक्त रास्ता को राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा 30.09.2021 के अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।



2. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपटित राजस्थान भू-राजस्व (लैंड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 31.09.2021 के अनुसार कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की शक्तियां भू-अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त है। राज्य सरकार द्वारा भू-अभिलेख अधिकारी की शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रत्योजित की गई है।
3. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर कोई कदीमी रास्ता चालू है। प्रकरण में अप्रार्थीगण ने अवगत करवाया कि मौके पर कोई रास्ता चालू नहीं है। तत्पश्चात प्रकरण में स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। पीठासीन अधिकारी के मौका निरीक्षण में संज्ञान में आया कि पूर्व में उक्त स्थान पर एक अस्थाई रास्ता चालू रहा है। परंतु वर्तमान में उक्त रास्ता मौके पर बंद है। इस प्रकार उक्त रास्ता स्थाई व बारहमासी रास्ता नहीं है।
4. प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1253/3/4.1929 है0 तथा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 1253/4 व मूल खसरा संख्या 1253 के अन्य हाल खसरे मौजा बोरली की वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अंकित तरमीम माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी में दर्ज वाद संख्या 88/2010 में निर्णय दिनांक 18.06.2013 के अनुसार एवं तहसीलदार गुडामालानी के आदेश क्रमांक/भू.अ./2013/2240 दिनांक 24.06.2013 की पालना में नामांतरकरण संख्या 80 की पुस्त पर अंकित अनुसार की गई। इस प्रकार उक्त आराजी की सक्षम न्यायालय के विभाजन की डिक्री के आधार पर की गई है। उक्त विभाजन में उक्त रास्ते के स्थान पर मुख्य सड़क से होकर अन्यत्र स्थान से रास्ता पक्षकारों को प्रदान किया हुआ है। असल में हस्तगत प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-251ए के तहत आता है। अतः उक्त आधारों पर हस्तगत प्रकरण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-131 के तहत रास्ता कायम किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः

आदेश है कि

**राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।**

यह आदेश आज दिनांक 24.04.2026 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुडामालानी

